सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

02/8/24 आज पंजावली वादी तेजराम के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए हाजिर हुए। वादी के अनुसार भी इस प्रकरण का समझौता हो गया है इसलिए वाद के बोर्ड कार्यवाही अदालती इसलिए वाद को Not Pressed के रूप में खारिज करवाना चाहते है। इस हेतु सहकारी सम्मत वकील श्री वादी के जरिये हस्ताक्षर किये। वादी का वाद Not Pressed में खारिज करार पाता है। पंजावली फैसला प्रकाश हो कर आज के आज ही वादी वकील प्रमाण विमल तोरण अध्यक्ष हो। फैसला आज दिनांक 02/8/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाय।

मैं इसानही चलाना चाहता हूँ
तेजराम

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

हुकम या कार्यवाही मय इ...

जो इस हुक्म की ... में जारी हुए

02/8/24 उपरोक्त पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में अग्रेतर है। प्रार्थी ने कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में कोई कार्यवाही नहीं चाही है तथा पत्र 212 R.T.A. Not Press में खारिज कर दिया जावे। इस पत्र Not Press में खारिज हो जाने से प्रार्थी के इच्छानुसार कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः पत्र 212 R.T.A. भी Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नकीर कार्यालय हेतु रहे।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

मैं प्रार्थना पत्र वापस लेना चाहता हूँ